

प्रेषक,

सदाकान्त,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
विकलांग कल्याण विभाग ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 09 अगस्त, 2012

विषय :- मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) नं0-659/2007 सम्बद्ध रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-133/2012 दि इन्वायरमेन्टल एण्ड कामन प्रोटेक्शन फाउण्डेशन आदि बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन विषयक ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष रिट पिटीशन (सिविल) नं0-659/2007 सम्बद्ध रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-133/2012 दि इन्वायरमेन्टल एण्ड कामन प्रोटेक्शन फाउण्डेशन आदि बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य विचाराधीन है । मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनपद मथुरा वृन्दावन के आश्रय सदनो में निवासरत वृद्ध निराश्रित महिलाओं को समुचित चिकित्सा एवं अन्य अपेक्षित सुविधायें प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं । अवगत कराना है कि वृद्ध आश्रमों में निवासरत महिलायें जिसमें अधिकांशतः रूग्ण अथवा चलने-फिरने में असमर्थ हैं उनके नैतिक कार्यों के निष्पादन में अवरोध उत्पन्न न हो, इस हेतु अनुरोध है कि अपने स्तर से यथा अपेक्षित व्हील चेयर (Wheel Chair) संस्थाओं को उपलब्ध कराने हेतु संबंधित को निर्दिष्ट करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(सदाकान्त)
प्रमुख सचिव ।

संख्या 616(1)/60-3-12-2रिट/08 तददिनांक ।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- जिलाधिकारी, मथुरा ।
 - 2- निदेशक, महिला कल्याण / प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम, लखनऊ ।
 - 3- जिलाधिकारी, मथुरा ।
 - 4- मण्डलीय उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, आगरा मण्डल, आगरा ।
 - 5- जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, मथुरा ।
 - 6- जिला प्रोबेशन अधिकारी, मथुरा ।
 - 7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

he
9/8

(मिश्रीलाल पासवान)
विशेष सचिव ।